

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/34/2015/19/यो 1845

भोपाल दिनांक 02/04/2016

प्रति,

✓ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 128वीं बैठक।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 128वीं बैठक जो दिनांक 24.11.2015 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार निम्नलिखित कार्यों की दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना मद के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	कार्य का नाम	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5
1	देवास	24/5054	शाजापुर जिले में बरेछा सुन्दरसी अकोदिया मार्ग के कि०मी० 12/10 पर कालीसिंध नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल का निर्माण।	820.33
2	छिन्दवाड़ा	24/5054	छिन्दवाड़ा जिले के चौरई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बांसखेडा पिपरिया खाती मार्ग पर पंच नदी पर निर्मित पुल के पहुंच मार्ग का निर्माण।	179.40

2/ उक्त कार्यों हेतु वर्ष 2016-17 के बजट में मांग संख्या 24/5054 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराया जावे। कार्यों हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किया जाता है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराया जावे, तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।

3/ उपरोक्त कार्यों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जावे।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यों को वेबसाईड पर डाला जाये।

सहपत्र:-02 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)

सचिव

म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग


पृ० क्रमांक एफ-43/34/2015/19/यो 1846

भोपाल दिनांक 02/04/2016

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता (सेतु परि०) लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. मुख्य अभियंता (मध्य परि०) लोक निर्माण विभाग जबलपुर।
3. निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
की ओर सूचनार्थ (केवल क्रमांक 02 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रिपित।

सहपत्र:-शून्य


सचिव 2/4/16
महोदय शासन लोक निर्माण विभाग